20 बहादुर बच्चों को मिले बाल पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने असाधारण उपलब्धियों के लिए किया सम्मानित

नई दिल्ली, 26 दिसंबर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न क्षेत्रों में 18 राज्यों के 20 साहसी बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है.

राष्ट्रपति मुर्मु ने शुक्रवार को यहां विज्ञान भवन में एक समारोह में इन बच्चों के उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये. राष्ट्रपति ने पुरस्कार पाने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने परिवारों, अपने समुदायों और पूरे देश को गौरवान्वित किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मान पाने वाले इन बच्चों से देश के अन्य सभी बच्चे प्रेरित होंगे. राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 वर्ष पूर्व, सिख पंथ के दसवें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोबिन्द सिंह जी और उनके चारों बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिया था. इस दिन हम सब उनके दो सबसे छोटे साहिबज़ादों का स्मरण करते हैं जिनकी वीरता का सम्मान देश-विदेश में किया जाता है.

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिये हैं. वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवोचार, विज्ञान तथा तकनीकी, समाज-सेवा और खेल-कूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल-प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है. उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार पाने वाले बच्चों ने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. उनका कहना था कि सात वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रिन्किा जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के कारण ही भारत विश्व पटल पर शतरंज की महाशक्ति माना जाता है. अजय राज और मोहम्मद सिदान पी. ने अपनी वीरता और सूझबूझ से दूसरों की जान बचाकर अत्यंत प्रशंसनीय काम किया है. इसी तरह से नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और ग्यारह वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने साहस से दूसरों की जान बचाते हुए अपने प्राण गंवा दिए. राष्ट्रपति ने कहा कि यह गौरव की बात है कि दस वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई. वहीं, दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरु उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं.

सुपरपावर नहीं, विश्वगुरु बने भारत : भागवत

तिरुपति से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश

तिरुपति, 26 दिसंबर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है और देश का आगे बढ़ना तय है.

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का लक्ष्य केवल एक सुपरपावर बनना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला 'विश्वगुरु' बनना होना चाहिए. मोहन भागवत ने विज्ञान और धर्म के संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि दोनों के बीच कोई वास्तविक टकराव नहीं है. उन्होंने कहा कि विज्ञान और धर्म अलग-अलग मार्गों से चलते हुए

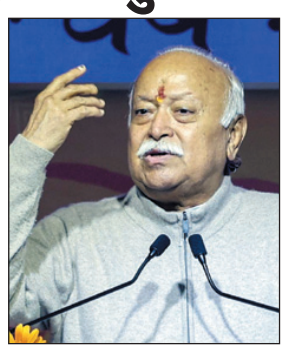

भी एक ही सत्य की खोज करते हैं और उनकी मंज़िल एक ही है. आरएसएस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि भारत की विकास अवधारणा का मूल आधार धर्म है, लेकिन धर्म का अर्थ केवल पूजा-पद्धति या मजहब नहीं, बल्कि वह सिद्धांत है जिससे प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है. उन्होंने समाज से पुराने और नए, दोनों तरह के अंधविश्वासों से मुक्त होने का आह्वान किया.

भागवत ने उदाहरण देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई प्राचीन मंदिर अपनी वैज्ञानिक और मजबूत संरचना के कारण सुरक्षित रहते हैं, जो भारत के पारंपरिक ज्ञान की शक्ति को दर्शाता है. कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हजारों वर्षों तक पारंपरिक खेती से भूमि सुरक्षित रही, लेकिन आधुनिक दौर में रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर दी हैं. उन्होंने पंजाब से जयपुर तक चलने वाली तथाकथित कैंसर ट्रेन का उल्लेख करते हुए इसे चिंताजनक बताया. इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे. सम्मेलन से पहले मोहन भागवत ने तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन किए.

पीएमयूवाई लाभार्थी बढ़कर 10 .35 करोड़

नई दिल्ली, 26 दिसंबर. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत सब्सिडी पाने वाले लाभार्थियों की संख्या इस वर्ष में बढ़कर 10.35 करोड़ तक पहुंच गई है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को सस्ती और सुरक्षित एलपीजी गैस उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रगति हुई है. सरकार की ओर से 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे स्वच्छ ईंधन की पहुंच और घरेलू जीवन स्तर में सुधार हुआ है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2025 में बढ़कर 10.35 करोड़ हो गई है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जिसे एक परिवार साल में अधिकतम नौ सिलेंडरों तक प्राप्त कर सकता है. मंत्रालय के अनुसार, देश में एलपीजी की खपत में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति परिवार औसत खपत जहां तीन सिलेंडर थी, वहीं यह 2024-25 में बढ़कर 4.47 सिलेंडर हो गई है. वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 4.85 सिलेंडर प्रति परिवार तक पहुंचने का अनुमान है. इससे साफ है कि उज्ज्वला योजना ने स्वच्छ ईंधन को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सरकार ने अधिक परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2025-26 में 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी है. आधार और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को तेज करने से सब्सिडी टारगेटिंग और पारदर्शिता में सुधार हुआ है. 1 दिसंबर 2025 तक पीएमयूवाई के 71 प्रतिशत और गैर-पीएमयूवाई के 62 प्रतिशत उपभोक्ता बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के दायरे में आ चुके हैं. इसके अलावा, 'बेसिक सेफ्टी चेक' अभियान के तहत देशभर में 12.12 करोड़ से अधिक मुफ्त सुरक्षा निरीक्षण किए गए और 4.65 करोड़ एलपीजी होज रियायती दरों पर बदले गए. मंत्रालय ने बताया कि पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है.

सोनिया-राहुल ने डॉ. मनमोहन को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 26 दिसंबर. सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

उन्होंने कहा कि मनमोहन ने देश के आर्थिक विकास को जो दिशा दी वह भारत की समृद्धि का मजबूत आधार बन गया है. मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर डॉ सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर, हम भारत के राष्ट्र निर्माण में उनके अपार योगदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं.

पाठक ने पीएम को दिया नेशनल बॉलीबॉल चैंपियनशिप का निमंत्रण

लखनऊ/दिल्ली, 26 दिसंबर. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्ह चार से 11 जनवरी तक वाराणसी में आयोजित होने वाली नेशनल बॉलीबॉल चैंपियनशिप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर पोस्ट किया प्रधानमंत्री से आत्मीय भेंट कर स्नेहिल सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ.

स्वदेशी हथियार प्रणाली पर सरकार का फोकस

▶ भारतीय सेना व नौसेना-वायुसेना को बड़ी मजबूती

नई दिल्ली, 26 दिसंबर. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च खरीद संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में कई अहम स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की संभावना है.

इस बैठक का मुख्य फोकस भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना रहा. सूत्रों के

अनुसार, डीएसी की बैठक में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को हवाई खतरों से सुरक्षित रखने के लिए स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, सेना की ड्रोन क्षमताओं में इजाफा, नौसेना के युद्धपोतों की सुरक्षा और वायुसेना के लिए आधुनिक मिसाइल प्रणालियों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. सरकार का जोर रक्षा तैयारियों को मजबूत करने पर है.

एमईए ने दिखाया यूनुस सरकार को आईना

नई दिल्ली, 26 दिसंबर. भारत ने बंगलादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए हिंदू समुदाय के एक और व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या की घोर निंदा की है और कहा है कि इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां शुक्रवार को साप्ताहिक ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में कहा कि बंगलादेश में अल्पसंख्यकों हिन्दुओं, ईसाइयों और बौद्ध समुदाय के लोगों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगलादेश के मैमनसिंह में एक और हिंदू दीपू दास की हत्या चिंता का विषय है और भारत इसकी घोर निंदा करता है. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के लिए दोषी लोगों को न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए.

मस्जिद परिसर से जुड़े विवाद में हालात बेकाबू

जयपुर, 25 दिसंबर. जयपुर जिले के शांत माने जाने वाले चौमू कस्बे में शुक्रवार देर रात अचानक हालात बेकाबू हो गए. मामूली प्रशासनिक कार्रवाई देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव में तब्दील हो गई. मस्जिद परिसर के पास सड़क किनारे लंबे समय से पड़े पत्थरों को हटाने का कार्य चल रहा था, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हुआ. विरोध इतना बढ़ गया कि आधी रात के बाद माहौल हिंसक हो गया और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई. घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा. कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रण में लिया गया. एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अफवाहों को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध भी लगा दिया है. यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि छोटी-सी प्रशासनिक कार्रवाई कैसे बड़े सांप्रदायिक तनाव का रूप ले सकती है. जयपुर जिले के चौमू कस्बे में शुक्रवार देर रात सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. मस्जिद परिसर के पास सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिट्रन मार्केट, भोपाल-462016
फोन नं. : 0755-2430154, 2464643, फैक्स नं. 2981055
ई-मेल : secretary@mperc.nic.in, वेबसाइट : www.mperc.in

क्रमांक : म.प्र.वि.नि.आ./आर.ई./2025/2505 भोपाल, दिनांक : 24 दिसम्बर, 2025

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रमांक 140/2025)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2021 [आरजी-35 (III) वर्ष 2021] यथा संशोधित"** अधिसूचित किया गया (जिसे आगे टैरिफ विनियम उल्लेखित किया गया है)।

याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. जबलपुर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर तथा एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि. जबलपुर (जिन्हें आगे क्रमशः 'याचिकाकर्ता' अथवा 'ईस्ट डिस्कॉम (पूर्व क्षेत्र)', सेंट्रल डिस्कॉम (मध्य क्षेत्र)', वेस्ट डिस्कॉम (पश्चिम क्षेत्र)' तथा 'एमपीपीएमसीएल', उल्लेखित किया गया है) राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां हैं। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है।

टैरिफ विनियम के विनियम 7.2 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष दिनांक 28 नवंबर' 2025 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पुनरीक्षित समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तथा वित्त वर्ष 2026-27 हेतु खुदरा प्रदाय टैरिफ पर विचार एवं अनुमोदन के लिए एक याचिका प्रस्तुत की है। इस याचिका को दिनांक 09.12.2025 को आयोजित सुनवाई में आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। हितधारकों से उक्त याचिका पर आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ/सुझाव इस सूचना के माध्यम से आमंत्रित हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की पुनरीक्षित समग्र राजस्व आवश्यकता हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का सारांश निम्नांकित तालिका में दिया गया है:-

तालिक-1: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश:

सभी आंकड़े रु. करोड़ में

विवरण	म.प्र. राज्य	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र
विद्युत क्रय की लागत (वितरण कंपनियों को आवंटित एम.पी.पॉ.मैं.कं. की लागत सहित)	42,197	11,019	11,286	19,892
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार				
अन्तः राज्यीय पारेषण (म.प्र. ट्रांसको) प्रभार राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार सहित	6,356	2,182	2,102	2,072
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	1,320	522	488	310
कर्मचारी व्यय	3,994	1,373	1,295	1,326
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	462	152	138	172
अवमूल्यन	1,191	449	398	345
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,444	503	649	292
अन्य ऋण, बट्टे (पूर्व अवधि एवं संदिग्ध ऋण)	12	4	4	4
लीज प्रभार-स्मार्ट मीटर पर	514	165	276	73
अंशपूंजी पर प्रतिलाभ	862	313	351	199
अंशपूंजी पर प्रतिलाभ सहित कुल व्यय	**58,352**	**16,682**	**16,986**	**24,684**
घटायें : अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	793	354	138	300
कुल सकल राजस्व आवश्यकता	**57,559**	**16,328**	**16,848**	**24,384**
विद्युत क्रय अतिरिक्त लागत का प्रभाव *	3,451	983	1,114	1,353
वितरण कंपनियों के वित्त वर्ष 2024-25 के सत्यापन का प्रभाव *	4,365	1,229	2,764	371
सत्यापन राशि को शामिल कर कुल राजस्व आवश्यकता (अ)	**65,374**	**18,540**	**20,726**	**26,108**
वर्तमान दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व (ब)	59,331	16,826	18,810	23,694
कुल राजस्व अंतर (अ-ब)	**6,044**	**1,714**	**1,916**	**2,414**
प्रस्तावित दरों पर विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	65,374	18,540	20,726	26,108
प्रस्तावित दरों पर अंतर	0	0	0	0

*एम पी डिस्कॉम की वित्तीय वर्ष 2024-25 की ट्रू -अप याचिका के अनुसार।

याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वर्तमान दरों पर विद्युत के खुदरा विक्रय से रुपये 59,331 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाया है जिससे रुपये 6,044 करोड़ का राजस्व अंतर रहेगा। याचिकाकर्ताओं ने इस राजस्व अंतर की पूर्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये दरों के पुनःरीक्षण से किये जाने का प्रस्ताव किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये याचिकाकर्ताओं द्वारा 10.19 प्रतिशत दर वृद्धि के प्रस्ताव के साथ राजस्व अंतर रुपये 6,044 करोड़ की भरपाई निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित किया है:-

तालिका-2: राज्य के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रस्तावित दरों का राजस्व पर प्रभार:

	दर श्रेणी	विक्रय	प्रचलित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर राजस्व	प्रस्तावित दरों पर अतिरिक्त राजस्व
		मि.यू	रु. करोड़	रु. करोड़	रु. करोड़
एल.वी.-1	घरेलू	21,899	14,785	16,158	1,373
एल.वी.-2	गैर-घरेलू	5,319	5,068	5,512	444
एल.वी.-3	सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र एवं पथप्रकाश	2,730	1,874	2,097	223
एल.वी.-4	निम्नदाब उद्योग	1,721	1,596	1,725	129
एल.वी.-5	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ	31,540	20,180	22,970	2,790
एल.वी.-6	ई.व्हीकल/ई.रिक्शा चार्जिंग स्टेशन	12.48	8.91	9.78	0.9
	योग (निम्न-दाब)	**63,222**	**43,513**	**48,472**	**4,959**
एच.वी.-1	रेलवे कर्षण	55	36	38	2
एच.वी.-2	कोयला खदानें	510	460	489	29
एच.वी.-3.1	औद्योगिक	11,820	9,445	10,030	585
एच.वी.-3.2	गैर-औद्योगिक	1,709	1,557	1,661	105
एच.वी.-3.3	शॉपिंग मॉल	104	87	93	6
एच.वी.-3.4	गहन पावर उद्योग	2,963	1,660	1,858	199
एच.वी.-4	मौसमी	37	42	43	1
एच.वी.-5	उच्च दाब सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र, सिंचाई एवं कृषि संबंधित अन्य उपयोग	2,515	2,105	2,242	137
एच.वी.-6	थोक आवासीय उपयोगकर्ता	445	357	376	19
एच.वी.-7	ग्रिड से संयोजित जेनरेटरों के लिए विद्युत आवश्यकता	41	51	54	3
एच.वी.-8	उच्च-दाब ई.व्हीकल/ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन	13	9	10	1
एच.वी.-9	मेट्रो रेल	10	10	9	(1)
	योग (उच्चदाब)	**20,223**	**15,818**	**16,903**	**1,085**
	योग (निम्नदाब + उच्चदाब)	**83,444**	**59,331**	**65,374**	**6,044**

उपर्युक्त प्रस्तावित टैरिफ में **टैरिफ संरचना तथा सामान्य निबंधन एवं शर्तों** में कुछ प्रस्तावित परिवर्तन भी शामिल हैं, जिनका विस्तृत वर्णन तथा कारण याचिका में दिया गया है। मुख्य परिवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है :

1. **एलवी-1.2 घरेलू श्रेणी में टैरिफ स्लैब का सरलीकरण :** घरेलू टैरिफ की उप-श्रेणियों के सरलीकरण के उद्देश्य से, **"151 - 300 यूनिट"** के मौजूदा टैरिफ स्लैब को **"151 यूनिट से ऊपर"** के रूप में संशोधित करने तथा **"300 यूनिट से अधिक"** स्लैब को विलोपित करने का प्रस्ताव किया गया है।
2. **टैरिफ एल.वी. 5 की उपश्रेणियों के अंतर्गत स्लैब का एकीकरण :** विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 तथा सब्सिडी लेखांकन एवं संवितरण के संबंध में केंन्द्रीय पॉवर मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के सुगम क्रियान्वयन हेतु, एल.वी-5.1 एवं एल.वी-5.4 टैरिफ उप-श्रेणियों के मौजूदा सभी टैरिफ स्लैबों को एक ही स्लैब में विलय करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित टैरिफ को सभी स्लैबों से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व को ध्यान में रखते हुए राजस्व-निष्पक्ष (revenue neutral) दृष्टिकोण अपनाकर निर्धारण किया गया है। इन श्रेणियों के अंतर्गत अस्थायी कनेक्शन हेतु टैरिफ इन श्रेणियों के सामान्य टैरिफ का 1.25 गुना प्रस्तावित है।
3. **एच.टी. श्रेणियों के लिए केवीएच (kVAh) बिलिंग का प्रस्ताव :** उपभोक्ताओं के साथ-साथ लाइसेंसधारी के लिए kVAh बिलिंग के लाभों को ध्यान में रखते हुए, एच.टी. श्रेणी में kVAh बिलिंग को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। kVAh आधारित बिलिंग से बिलिंग संरचना का सरलीकरण होगा तथा उपभोक्ताओं के पॉवर फैक्टर के आधार पर लागू होने वाले दंड एवं प्रोत्साहन (penalties & incentives) स्वतः सम्मिलित हो जाएंगे। एचटी उपभोक्ताओं हेतु kVAh टैरिफ का निर्धारण, टैरिफ न्यूट्रैलिटी सुनिश्चित करने तथा वर्तमान पॉवर फैक्टर आधारित प्रोत्साहन/अधिभार को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त कन्वर्जन फैक्टर के विस्तृत अध्ययन के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।
4. **उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टी.ओ.डी. (ToD) टैरिफ की पुनर्संरचना :** रात्रि के घंटों (10:00 PM से 6:00 AM (अगले दिवस)) में विद्युत की औसत लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है, और यदि इन घंटों में ToD छूट दी जाती है तो यह न केवल लागत प्रतिबिंबित टैरिफ की वसूली को प्रभावित करेगा, बल्कि डिस्कॉम के अन्य उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार डाल सकती है। अतः विद्युत क्रय लागत के अनुकूलन के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव किया गया है कि 10:00 PM से 6:00 AM तक ऐसे उपभोक्ताओं को सामान्य दरों पर बिल किया जाए।
5. **एच.वी.-3 श्रेणी (सभी उप-श्रेणियों) के उपभोक्ताओं हेतु विद्यमान छूट की निरंतरता :** मध्यप्रदेश राज्य में ऊर्जा अधिशेष की स्थिति को देखते हुए, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ रियायतें लागू की गई थीं। अब, आगामी वर्ष के कुछ महीनों में राज्य में ऊर्जा अधिशेष रहने की संभावना को देखते हुए, HV-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान में लागू रियायतों को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी जारी रखने का प्रस्ताव निम्नलिखित युक्तिसंगत परिवर्तनों के साथ किया गया है:
   - मौजूदा उच्च दाब उपभोक्ताओं को वृद्धि शील खपत छूट प्रदान करने हेतु आधार वर्ष को **पांचवां पूर्ववर्ती वर्ष** रखने का प्रस्ताव है।
   - नए उच्चदाब कनेक्शनों पर दी जा रही वर्तमान रिबेट को कनेक्शन की तिथि से दस वर्ष (120 माह) तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव है।
6. चूंकि एचटी उपभोक्ताओं के लिए केवीएएच बिलिंग प्रस्तावित है, अतः पीएफ प्रोत्साहन/छूट तथा अधिभार के मौजूदा प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इसे हटाने का प्रस्ताव है।

इच्छुक व्यक्ति सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां/टीप/सुझाव दस्तावेजों तथा प्रमाण सहित, यदि कोई हो तो, तीन प्रतियों में सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा ई-5 अरेरा कालोनी, बिट्रन मार्केट, भोपाल-462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि **दिनांक 25.01.2026 तक** नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। (आपत्तियां/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां ई-मेल **(secretary@mperc.nic.in)** के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है जिनकी मूल प्रतियां दिनांक 25.01.2026 तक नियामक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए) आपत्तियों/टीप/सुझावों की एक प्रति संबिधित डिस्कॉम तथा म.प्र.पा. में कंपनी लि. को भी **(ई-मेल (setracez@yahoo.com.in)** द्वारा पूर्व क्षेत्र, **cecomwz@gmail.com** द्वारा पश्चिम क्षेत्र, **regulatorycell@gmail.com** द्वारा मध्य क्षेत्र तथा **cgmrmmppmcl@gmail.com** द्वारा एमपीपीएमसीएल) प्रेषित की जावे, दिनांक 25.01.2026 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य याचिका की प्रति (अंग्रेजी/हिन्दी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा **दिनांक 25.01.2026 तक किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक** नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं. लि. ब्लॉक नं. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर अथवा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर अथवा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउण्ड, इन्दौर अथवा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., गोविन्दपुरा भोपाल से एक प्रति के लिए रु. 1000/- के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय "उप महाप्रबंधक (लेखा) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र.पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. इन्दौर" अथवा ''क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. भोपाल'', के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति डाक द्वारा रुपये 100/- के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। याचिका तथा टैरिफ प्रस्ताव की प्रति एवं याचिका की नियामक आयोग की वेबसाइट **https://mperc.in** तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट क्रमशः **https://www.mppmcl.com, https://www.mpez.co.in, https://www.mpwz.co.in/#/home एवं https://portal.mpcz.in/web** पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है, एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं।

आयोग द्वारा पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र हेतु क्रमशः दिनांक 24.02.2026, 25.02.2026 एवं 26.02.2026 को प्रातः 11.00 बजे आयोग के कोर्ट कक्ष में हाईब्रिड मोड में जनसुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में आयोग में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे भौतिक रूप से उपस्थित होकर अथवा ऑनलाइन अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. सहित आयोग सचिव को **secretary@mperc.nic.in** पर भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध गाईड लाइंस के अनुसार ऑनलाइन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव

म.प्र. माध्यम/123675/2025